न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून

वाद सं0— 11 /2025

धारा— शस्त्र अधिनियम
थाना— रायपुर

सरकार बनाम पुनीत अग्रवाल

अन्तरिम आदेश

उपरोक्त वाद की कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून की आख्या पत्रांकः—वाचक—37 /2025 दिनांक 24—10—2025 एवं संयुक्त निदेशक (विधि) देहरादून से प्राप्त विधिक आख्या दिनांक 24.10.2025 के आधार पर प्रारम्भ की गई। वाद नियमानुसार दर्ज कर वाद की सुनवाई की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि थाना प्रभारी रायपुर, देहरादून के माध्यम से उ0नि0 राजीव कुमार चौकी प्रभारी मयूर विहार थाना रायपुर देहरादून ने अपनी आख्या दिनांक 24.10.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 19. 10.2025 को थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत एटीएस कालोनी में दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हो गया था। शान्ति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत दोनों पक्षों का धारा 126/135 बीएनएसएस के अन्तर्गत चालान मा0 न्यायालय को प्रेपित किया गया है। उक्त घटना के दौरान श्री पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144 एल एटीएस कालोनी निकट आईटी पार्क जनपद देहरादून द्वारा मामूली विवाद के दौरान अपने लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित किया गया। मामूली विवाद के दौरान इस प्रकार लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित करना उक्त शस्त्र लाईसेंस धारक श्री पुनीत अग्रवाल का लापरवाही पूर्ण कृत्य है। जिस हेतु उक्त लाईसेंस धारक का शस्त्र लाईसेंस संख्या—597/थाना रायपुर यूआईएन नं0—335601004165002023 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत लाईसेंस धारक श्री पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144एल एटीएस कालोनी निकट आईटी पार्क जनपद देहरादून के शस्त्र लाईसेंस को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

संयुक्त निदेशक (विधि) देहरादून द्वारा अपनी विधिक आख्या दिनांक 24—10—2025 व एक पक्षीय रूप से सुना गया, जिसमें संयुक्त निदेशक (विधि) द्वारा उल्लेख किया गया है कि शस्त्र अधिनियम की धारा 17(3) (b) एवं शस्त्र नियम का नियम 32(3) व नियम 32(4) के प्रावधान सुसंगत हैं जो इस प्रकार हैः—

Arms Act Section (17);- Variation, Suspension and Revocation of licences:-
(3) The licensing authority may by order in waiting Suspend a licence for period as it thirds fit are revoke a licence.
(a) If the licensing authority is satisfied that the holder of the licence is prohibited by this Act or by any other law for the time being in force, from acquiring, having in his possession or carrying any arms or ammunition, or is of unsound mind, or is for any reason unfit for a licence under this Act; or
(b) if the licensing authority deems it necessary for the security of the public peace or for public safety to suspend or revoke the licence.

5/2

(5) Where the licensing authority makes an order varying a licence under sub- section (1) or an order suspending or revoking a licence under sub- section (3) it shall record in writing the reasons therefor and furnish to the holder of the licence on demand a brief statement of the same unless in any case the licensing authority is of the opinion that it will not be in the public interest to furnish such statement .

Rule 32: Restrictions on carrying of firearm in Public place:-

(3) Brandishing or discharge of firearms are blank-firing firearms in any public place are a firearms free zone is strictly prohibited.

(4) Any violation of this rule shall be liable to revocation of the licence and seizure of The firearm in addition to the penalty specified under the Act.

उपरोक्त शस्त्र अधिनियम एवं नियम के प्राविधानों के अनुसार यदि कोई अनुज्ञाप्तिधारी अपने शस्त्र का दुरूप्रयोग करता है जो कि लोक शांति और लोक अथवा सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है तो अनुज्ञाप्ति प्राधिकारी लाईसन्स को निलम्बित/रद्द कारणों को लेखबद्व करते हुए कर सकती है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहबाद द्वारा अपने न्याय निर्णयन में अभिनिर्धारित किया है कि

1- *Chhanga Prasad Sahu Vs. State of U.P., AIR 1986 Allahabad High court hold that- "if it becomes quite opparent to the lisensing authority that the possession of arms by licence is going to disturb are endangeu " public peace & safety " it can steaightway and without any further enquiry revoke/ suspend such licence.*

2- *Kailash Nath Vs. State of U.P., AIR 1985 Allahabad High court*
Held that A licence-holder must be given on opportunity of hearing before rerescation / suspension of his/her licence. it due to same unavoidable reasons, erovocation / Suspension of the arms licence is ordered, it is an obligation on the part of the licensing authority to allow a post-decisional hearing.

इस प्रकार उपरोक्त प्रकरण में पुलिस आख्या से स्पष्ट है कि अनुज्ञप्तिधारी श्री पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन अग्रवाल निवासी 144एल एटीएस कालोनी निकट आईटी पार्क थाना रायपुर जनपद देहरादून द्वारा मामूली विवाद के दौरान अपने लाईसेंसी शस्त्र को प्रदर्शित किया गया, जो शस्त्र लाईसेंस धारक श्री पुनीत अग्रवाल का लापरवाही पूर्ण कृत्य है, जिससे स्पष्ट होता है कि श्री पुनीत अग्रवाल के द्वारा अपने शस्त्र का भविष्य में दुरुप्रयोग किया जा सकता है और किसी भी बड़ी घटना के होने की भी पूर्ण सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक (विधि) देहरादून द्वारा अपनी बहस में यह भी उल्लेख किया गया कि पुलिस आख्यानुसार शस्त्र निरस्तीकरण हेतु विपक्षी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना विधि सम्मत है। वाद में अन्तिम आदेश पारित होने तक लोक शान्ति की व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मेरी राय में अनुज्ञप्तिधारी श्री पुनीत अग्रवाल पुत्र श्री मदन मोहन अग्रवाल के शस्त्र लाइसेंस सं०–597/थाना रायपुर /देहरादून /2023 को तत्काल निलम्बित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

मेरे द्वारा संयुक्त निदेशक (विधि) देहरादून की तर्कपूर्ण बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस आख्या का अध्ययन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी को जिन शर्तों के अधीन लाईसेन्स प्रदान किया गया था, उसका उनके द्वारा उल्लंघन किया गया है, जो आयुध

अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) (घ)–यदि अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन किया गया है: अथवा(ड.)–यदि अनुज्ञप्ति का धारक, अनुज्ञप्ति के प्रदान की अपेक्षा करने वाली उप धारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त आयुध नियम, 2016 के नियम 32(3)–किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी अग्न्यायुध मुक्त जोन में अग्न्यायुध को लहराना या उसे दागना या उससे हवा गोली चलाना पूर्णतः प्रतिषिद्ध है। (4) इस नियम का कोई उल्लंघन, अनुज्ञापित के प्रतिसंहरण के लिये दायी होगा और साथ ही अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट साथ शास्ति के उदग्रहण के साथ अग्न्यायुध का भी अभिग्रहण कर लिया जायेगा। पुलिस आख्या में उल्लेख किया गया है कि भविष्य में भी दोनों पक्ष अपने शस्त्र लाईसेंसों का गलत दुरूप्रयोग कर बड़ी घटना कारित कर सकते हैं, जिससे कि कोई बडी हानि होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। विपक्षी के विरूद्व कार्यवाही के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा जो तर्क दिये गये है कि वह बलयुक्त प्रतीत होते हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत विपक्षी को जारी शस्त्र लाईसेंस सख्याः 597/थाना रायपुर/देहरादून/2023 शस्त्र लाईसेंस रिवाल्वर यूआईएन नम्बर 335601004165002023 को जनहित में निलम्बित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर विपक्षी श्री पुनीत अग्रवाल पुत्र स्व0 मदन मोहन अग्रवाल निवासी ग्राम 144एल एटीएस कालोनी निकट आईटी पार्क, जनपद देहरादून को स्वीकृत शस्त्र लाईसेंस सख्या– 597/ थाना रायपुर/देहरादून/2023 एन०पी०बी० 32 बोर पिस्टल यूआईएन नम्बर 335601004165002023 को जनहित के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा थानाध्यक्ष थाना रायपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह विपक्षी का शस्त्र राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखे। तद्नुसार विपक्षी को इस आदेश के सापेक्ष अपना पक्ष 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु इस आशय का नोटिस जारी हो कि क्यों न उक्त लाईसेंस को अन्तिम तौर पर निरस्त कर दिया जाये। आदेश की प्रति सम्बन्धितों को जारी हो। पत्रावली वास्ते आपत्ति/सुनवाई हेतु दिनांक 11.11.2025 को पेश हो।

दिनांकः–24.10.2025

(सविन बंसल)
जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।